

मानवाधिकार

मानवाधिकार क्या हैं?

- मानवाधिकार वैसे अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिये हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं।
- राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किये बिना ये हम सभी के लिये सार्वभौमिक अधिकार हैं।
- इनमें सबसे मौलिक, जीवन के अधिकार से लेकर वे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे कभोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का अधिकार।
- प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय समुदाय 10 दिसंबर को [वश्व मानवाधिकार दिवस](#) मनाता है।
- यह वर्ष 1948 के उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को अपनाया था। UDHR मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय वधियक का एक हिससा है।
- कई क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ जनिवा में इसका मुख्यालय है, मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के कार्यालय ने मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी ज़िम्मेदारी नभई है।

मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वधियक क्या है?

- द्वितीय वश्व युद्ध (वर्ष 1939-45) के बाद शुरू हुई घोषणाओं और अनुबंधों की एक शृंखला से सार्वभौमिक मानवाधिकार स्पष्ट हुए।
- वर्ष 1948 में पहली बार देश सार्वभौमिक मानवाधिकारों की व्यापक सूची पर सहमत हुए।
- उसी वर्ष दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UHDR), मील का पत्थर जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास को गहराई से प्रभावित करेगा को अपनाया।
 - UHDR के 30 लेख वर्तमान और भविष्य के मानवाधिकार सम्मेलनों, संधियों और अन्य कानूनी उपकरणों के सिद्धांत तथा नरिमाण खंड प्रदान करते हैं।
- दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दो अंतरराष्ट्रीय संधियों को अपनाया जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों को और आकार देंगी:
 - आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंवदि (ICESCR) जिसकी नगिरानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समति द्वारा की जाती है।
 - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR ICCPR) जिसकी नगिरानी मानवाधिकार समति द्वारा की जाती है।
- इनहें अक्सर "अंतरराष्ट्रीय अनुबंध" के रूप में जाना जाता है।
- UDHR और इन दोनों प्रसंवदिओं को एक साथ मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय वधियक के रूप में जाना जाता है।

मानवाधिकारों से संबंधित अन्य संधियाँ कौन सी हैं?

- अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून अंतरराष्ट्रीय कानून के पूरक नकिया हैं जो कुछ समान उद्देश्यों को साझा करते हैं।
 - अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून नयिमों का एक समूह है जो मानवीय कारणों से सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमति करने की मांग करता है। यह उन लोगों की रक्षा करता है जो शत्रुता में शामिल नहीं होते हैं और युद्ध के साधनों एवं तरीकों को प्रतबिधति करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून को युद्ध के कानून या सशस्त्र संघर्ष के कानून के रूप में भी जाना जाता है।
- नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सज़ा पर कन्वेंशन (वर्ष 1948)
- नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (वर्ष 1965)
- महिलाओं के वरिद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभसिमय (वर्ष 1979)
- अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सज़ा के खिलाफ कन्वेंशन (वर्ष 1984)
- बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (वर्ष 1989)
- सभी प्रवासी शर्मिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (वर्ष 1999)
- जबरन अगुआ करने से सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (वर्ष 2006)
- वकिलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (2006)
- वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने व्यापार और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों को पारति कया।

भारत में मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- **परभाषा:**
 - भारत के [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#) के अनुसार, संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में मानवाधिकार या अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित तथा भारत में अदालतों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।
- **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:**
 - भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी।
 - जिस कानून के तहत इसे स्थापित किया गया है वह है- मानवाधिकार अधिनियम (PHRA), 1993 का संरक्षण।
 - अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **भारतीय कानूनों में शामिल मानवाधिकार:**
 - भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है।
 - मौलिक अधिकारों का भाग III अनुच्छेद 14 से 32 तक।
 - संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं।
 - अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- **मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में:**
 - नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं।
 - राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व अनुच्छेद 36 से 51 तक।
 - भारत मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने ICESCR एवं ICCPR की पुष्टि की है।
- **भारत ने नमिन की पुष्टि की है:**
 - नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय
 - महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय
 - बाल अधिकारों पर अभिसमय
 - वकिलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय

भारत में कुछ अन्य संबंधित कानून और नीतियाँ:

- [अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\) अधिनियम \(वर्ष 2006\)](#)
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम (वर्ष 2013) में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार
- स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम (वर्ष 2014)
- [जन धन खाता](#)
- [उज्ज्वला गैस कनेक्शन](#)
- [प्रधानमंत्री आवास योजना](#)
- [तीन तलाक](#)
- [ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय पोर्टल, गरमा गृह](#)

संबंधित सूचकांकों और रपिर्ट्स पर भारत का प्रदर्शन कैसा है?

सूचकांक:

- **[वशिव परेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2022:](#)**
 - रपिर्ट्स वडाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा प्रकाशित।
 - 180 देशों में भारत की रैंक 150 है।
- **मानव स्वतंत्रता सूचकांक:**
 - कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित।
 - वर्ष 2021 की रपिर्ट में भारत 165 देशों में 119वें स्थान पर है।
- **आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक:**
 - हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, 2021 प्रकाशित किया गया है।
 - भारत का आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 53.9 है। इस सूचकांक के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था के मामले में 131वें स्थान पर है।
 - एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों में भारत 27वें स्थान पर है।

रपिर्ट:

- **भारत- 2021 पर मानवाधिकार रपिर्ट:**
 - अमेरिकी वदिश विभाग द्वारा प्रकाशित।
 - रपिर्ट में सरकारी अधिकारियों द्वारा नजिता के उल्लंघन को चिह्नित किया गया है, इसके अलावा पूर्व-परीक्षण नरिंध मनमाना और लंबा

है। इसके अनुसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया प्रतियोगिता हैं।

- **फ्रीडम इन द वर्ल्ड- 2021 रपॉर्ट:**
 - अमेरिका स्थिति मानवाधिकार प्रहरी फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित।
 - भारत का स्कोर 67 था, जो पिछले स्कोर, वर्ष 2020, से (71/100) कम था।
- **लोकतंत्र रपॉर्ट- 2022:**
 - स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी-डेम संस्थान द्वारा प्रकाशित।
 - वर्ष 2021 में वैश्विक नागरिकों के द्वारा एंजॉय किया गया लोकतंत्र का स्तर वर्ष 1989 के स्तर से नीचे है।

मानवाधिकारों के संबंध में उभरती चुनौतियाँ क्या हैं?

- राज्य द्वारा जान-बूझकर या राज्य की लापरवाही के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है।
- इतिहास में दर्ज मानव अधिकारों के सबसे गंभीर और प्रसिद्ध उल्लंघनों में से एक है- यहूदियों, समलैंगिकों, कम्युनिस्टों, स्लावों तथा अन्य समूहों को एडॉल्फ हिटलर के "दुनिया को साफ करने" के एजेंडे के हिस्से के रूप में मानवता से वंचित कर दिया गया था।
- **सम्मान से जीने का अधिकार:**
 - हाथ से मेला ढोना एक गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार ने इसके समाधान के लिये कई नीतियाँ बनाई हैं, लेकिन अब तक कुछ क्षेत्रों में मेला ढोने के मामले देखे जा रहे हैं।
 - आदिवासियों के मानवाधिकारों से समझौता तब किया जाता है जब उन्हें पशुओं के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र से वसिस्थापित किया जाता है।
 - स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत आता है। शहरीकरण और औद्योगीकरण की वजह से प्रदूषण में वृद्धि के कारण मानव अधिकारों का लगातार उल्लंघन हुआ है।
- **महिलाओं के मानवाधिकार:**
 - हमारे समाज में महिलाओं को कमजोर माना जाता है और अक्सर उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें समाज में हिंसा का शिकार होना पड़ता है चाहे वह घर की चार दीवारी के भीतर हों या कार्यस्थल पर।
- **अफगानिस्तान में जब भी मृत्यु के आरोप में किसी लड़की को गरिफ्तार किया जाता है, तो जबरन उसके कौमार्य की जांच की जाती है।**
- **कैदियों के अधिकार:**
 - जबरन श्रम, शारीरिक शोषण/यातना, पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, अमानवीय व्यवहार, हिंसा में बलात्कार, भोजन की खराब गुणवत्ता, पानी की व्यवस्था की कमी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नोट किये गए अन्य मुद्दों सहित कैदियों के सबसे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन।
 - हाल के दिनों में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कैदियों के मानवाधिकारों के अतिक्रमण के खिलाफ बहुत सतर्क रहा है।
- **शासन में भ्रष्टाचार:**
 - भ्रष्टाचार कानून के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिये खतरा है, सुशासन, निष्पक्षता तथा सामाजिक न्याय को कमजोर करता है, प्रतिसिंधा को विकृत करता है, आर्थिक विकास में बाधा डालता है एवं लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थिरता और समाज की नैतिक नींव को खतरे में डालता है।
 - अल्पसंख्यकों को नशाना बनाने और राजनीतिक वरिधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने सहित आतंकवाद वरिधी कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावनाएँ पैदा हुई हैं।

मानवाधिकार क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- मानवाधिकार किसी व्यक्ति को दुरुव्यवहार या भेदभाव से बचाता है क्योंकि सभी को शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने का समान अवसर मिला चाहिये।
- सामाजिक अन्याय और समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं के खिलाफ व्यक्ति बोल सकते हैं।
- मानवाधिकार गारंटी देता है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए।
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकारों के माध्यम से प्रचारित की जाती है।
- धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों द्वारा संभव है।
- मानव अधिकारों द्वारा सरकार की जवाबदेही के लिये एक समान मानदंड प्रदान किया जाता है।

आगे की राह

- **समय पर प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करना:** शासन में भ्रष्टाचार मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीछे प्रमुख कारक है क्योंकि यह सरकार की नीति तथा कार्यक्रम के समय पर प्रभावी कार्यान्वयन में ढील देता है। उचित प्रशासन एवं नगिरानी द्वारा सेवाओं की समय पर और कुशल डिलीवरी की गारंटी दी जानी चाहिये।
- **अविकसित और विकासशील देशों पर ध्यान देना:** अविकसित एवं विकासशील देशों में अधिकांश मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिये विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े उपायों को विकसित करने और बनाए रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिये।
- भारत के मामले में पूरे देश में मानवाधिकारों के हनन का अधिक प्रभावी प्रहरी बनने के लिये NHRC को काफी हद तक नया रूप दिया जाना चाहिये। यदि आयोग की सफ़ाई को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाता है तो NHRC की प्रभावकारिता बढ़ जाएगी। यदि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार और मजबूती लाना है तो राज्य व गैर-राज्य संस्थाओं को सहयोग एवं नेतृत्व करना चाहिये।
- पुराने कानूनों और प्रावधानों को परिस्थितियों की नवीनतम मांग के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

